

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक सितम्बर, 2014

पत्र संख्या-1/एल01-10-03/2007 गृ0आ0 / श्री अमृत राज, भा0पु0से0 (1998), तत्कालीन पुलिस उप-महानिरीक्षक, तिरहुत क्षेत्र, मुजफ्फरपुर सम्प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), नई दिल्ली को पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 3135/एक्स0पी0, दिनांक 13.08.2014 के अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना 4828, दिनांक 12.06.2014 में संशोधन करते हुए अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली-1955 के नियम 10, 11 एवं 20 के अन्तर्गत दिनांक 15.06.2014 से 15.07.2014 तक कुल 31 (एकतीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है एवं अवकाश उपभोग के दौरान पुलिस उप-महानिरीक्षक, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना के पद पर पदस्थापन हो जाने के कारण तथा दिनांक 16.07.2014 के पूर्वाहन में उक्त पद का पदभार ग्रहण कर लिये जाने के कारण दिनांक 16.07.2014 से 13.08.2014 तक कुल 29 (उनतीस) दिनों की उपार्जित अवकाश की स्वीकृति को रद्द किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/-

(राजीव रंजन सिन्हा)

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-03/2007 गृ0आ0 /पटना, दिनांक सितम्बर, 2014
प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-03/2007 गृ0आ0 /पटना, दिनांक सितम्बर, 2014
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/ जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-1/एल01-10-03/2007 गृ0आ0 7192 /पटना, दिनांक 2 सितम्बर, 2014
प्रतिलिपि:-अवर सचिव (पुलिस) गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/श्री अमृत राज, भा0पु0से0 (1998), पुलिस उप-महानिरीक्षक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D), सी0जी0ओ0 कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली /आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।